उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–02/2022–23

सिबल टुडू

बनाम्

मेरी हेम्ब्रम एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 28/2/23

उत्तरवादी के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता सिबल टुडू, पे0–स्व0 सोम टुडू, सा0–केन्दुआ, अंचल–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–17/2016–17 (पगान मुर्मू बनाम् सिबल टुडू) के आदेश दिनांक–01.02.2020 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0–17/2016–17 के आदेश दिनांक–01.02.2020 के द्वारा अपीलकर्त्ता को मौजा –केन्दुआ नं0–192, जमाबंदी सं0–10, दाग नं0–90, रकवा 00–02–10 धुर जमीन से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा मौजा–केन्दुआ के जमाबंदी सं0–10 के दाग नं0–90 के अन्तर्गत रकवा 00–01–02 धुर जमीन पर दावा किया गया है। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा रकवा 00–02–10 धुर जमीन से उच्छेद किया है। उक्त जमीन अपीलकर्त्ता के दादा को कुर्फा से प्राप्त हुआ था। क्योंकि अपीलकर्त्ता के दादा को मौजा–केन्दुआ में कोई जमीन नहीं था। वे भूमिहीन व्यक्ति थे और भूमिहीन होने के कारण वे उक्त जमाबंदी के जमाबंदी रैयत के यहाँ घरेलू नौकर के रूप में काम करते थे। इसलिए उक्त जमाबंदी के जमाबंदी रैयत ने उन्हे वर्ष 1934–35 ई0 में उक्त जमाबंदी के अंदर रकवा 00–01–02 धुर जमीन घर बनाने के लिए दिया था। अपीलकर्त्ता के दादा ने उक्त जमीन पर मिट्टी का मकान बनाया एवं उस पर निवास करने लगे। चूँकि अपीलकर्त्ता का उक्त जमीन पर दखल 1949 के बाहर वर्ष पूर्व से है। इसलिए प्रतिकूल प्रभाव से दखल होने के कारण अपीलकर्त्ता का उक्त जमीन

पर हक कायम हो गया है। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची का भी नियमन है कि आवासीय मकान की जमीन से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उच्छेद नहीं किया जा सकता है। लेकिन निम्न न्यायालय ने अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल किये गये तथ्यों पर विचार किये बिना ही आदेश पारित किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी की ओर से लिखित बहस दाखिल किया है, जिसमें उल्लेख है कि उत्तरवादी के पति द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में उच्छेदी वाद दायर किया था, जिसके आधार पर अपीलकर्त्ता को कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश दिया गया। नोटिश मिलने के बाद अपीलकर्त्ता के द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल किया। दाखिल कारण–पृच्छा में अपीलकर्त्ता के द्वारा दावा किया गया कि उन्हें अपील वादगत जमीन कुर्फा के आधार पर प्राप्त हुआ है। लेकिन कुर्फा के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल नहीं किया। आगे उल्लेख किया है कि अपील वादगत उत्तरवादी की पैतृक जमीन है, जिसे अपीलकर्त्ता ने अपराधियों के सहयोग से कब्जा कर लिया है। इसलिए निम्न न्यायालय ने पारित आदेश नियम संगत आदेश पारित करते हुए अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया है। उन्होंने अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–केन्दुआ नं0–192, जमाबंदी नं0–10 कुल रकवा 26–13–17 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में रघु मुरमू वो कन्दना मुरमू वो मंगल मुरमू पेशरान–मंसांग मुरमू वो रघुनाथ मुरमू वल्द बड़का मुरमू वो रघु मुरमू वल्द शुफल मुरमू वो रघु मुरमू वल्द जोल्हा मुरमू वो चुड़का मुरमू वल्द रघुनाथ मुरमू कौम शंताल सा0–देह के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता ने उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–90 के अंदर रकवा 00–01–02 धुर जमीन वर्ष 1934–35 में कुर्फा से प्राप्त करने का दावा किया है। लेकिन अपीलकर्त्ता के द्वारा कुर्फा के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल नहीं किया है। यह स्पष्ट है कि अपील वादगत जमीन रैयती जमीन है एवं पर्चा में किस्म धानी दोयम दर्ज है। चूँकि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के प्रावधान के तहत रैयती जमीन का

हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। अतएव निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–17/2016–17 में दिनांक–01.02.2020 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.04.12 11:10:02 +05:30
Location: 172.17.16.1